तेज़ाबी हमला

(दृष्टिकोण)

किसी के ऊपर एसिड फेंकना अथवा एसिड के द्वारा किसी को नुकसान पहुँचाना एसिड हमला कहलाता है। एसिड हमले के कारण व्यक्ति के आँख, नाक, कान, चेहरे और शरीर का कोई भी हिस्सा झुलस जाता है। एसिड हमले से प्रभावित लोगों में अधिकतर महिलाओं को देखा जाता है तथा इन वारदातों को अंजाम देने वालों में अधिकतर पुरूष होते हैं, जो बदले की भावना के तहत इन वारदातों को अंजाम देते हैं।

हमारे देश में इस तरह के मामले बहुत ही देखने को मिलते हैं। इनका कोई वास्तविक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सर्वे के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष १००० ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें से अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश के हैं। राजधानी दिल्ली इन मामलों में तीसरे स्थान पर है। आज के समय में समग्र विश्व में इन मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण है कि वहाँ की सरकारें इन मामलों में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहीं तथा इन मुद्दों के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं है, जितना उन्हें होना चाहिए।

भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एसिड हमला एक विकट समस्याओं में से एक है। अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश आदि देश आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इंटरनेशनल क्राइम ब्यूरो रिकार्ड्स के अनुसार एसिड अटैक सर्वाधिक बांग्लादेश में होता था, लेकिन वहाँ की सरकार ने 'एसिड बिक्री ना हो' ये कानून बनाया, जिसमें न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं। वहां अब इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। यदि एसिड हमले से पीड़ित लोगों को सामाजिक दृष्टिकोण से देखें; तो हम पाते हैं कि हमारा समाज ऐसी महिलाओं को हीन भाव से देखता है। कोई बात तक नहीं करना चाहता उनसे, ना ही इनके साथ सफर करना चाहता है। हमारा समाज ऐसे पीड़ितों को पूरी तरह से यह आभास दिलाना चाहता है कि अब उनके जीवन में कुछ नहीं बचा। इस प्रकार तेज़ाब हमले से पीड़ितों को समाज की अनेकानेक कुदृष्टियों और कटाक्ष व्यंग्यों का सामना करना पड़ता है।

हमारे देश के कानून में तेज़ाब-पीड़ितों के लिए सजा का प्रावधान नहीं था, किंतु ऐसे पीड़ित वर्ग के लिए संविधान की धारा ३२६ (विशेष रूप से जख्मी हालत में) के तहत शिकायत की जाती थी। दोषी पाये जाने पर सजा होती थी। परन्तु अब जस्टिस जे. एस. वर्मा कमिशन को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एसिड कानून में नये प्रावधान किए हैं, जिसके फलस्वरूप आई .पी. सी. की दो धाराएं ३२६ए और ३२६बी अस्तित्व में आयीं। जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर एसिड से हमला करता है और वो जख्मी हो जाता है, जल अथवा झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में दोषी पाये जाने पर धारा ३२६ ए के तहत दोषी व्यक्ति को कम से कम ७ वर्ष और अधिक

से अधिक उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति तेज़ाब के द्वारा किसी का चेहरा ख़राब करने या किसी भी प्रकार का नुकसान करने की कोशिश करता है, तो धारा ३२६ बी के तहत उसे कम से कम ५ और अधिक से अधिक ७ वर्ष की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रत्येक पीड़ित के लिये ३ लाख रूपए की राशि मुआवज़ा के तौर पर रखी है। कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि एसिड कारोबारों को कानून से बाँधे अर्थात् बिना लाइसेंस कोई एसिड ना बेचे और जो भी एसिड ख़रीदे, उसका पूरा पता आधार कार्ड संख्या इत्यादि दुकानदार को लेना होगा।

भारत में इन हमलों को कम करने के लिये तेज़ाब रोको (स्टाप एसिड अटैक) अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान से जुड़े लोग कठोर नियम और समाज में बदलाव के लिए मुहिम चलाते हैं। भारत ही नहीं एसिड हमला पूरे विश्व की समस्या है, इसीलिए सभी देश अपने-अपने तरीके से इस समस्या पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटेन तथा डेनमार्क की एक मेडिकल प्रोफेसर्स की टीम यही कार्य करती है। इस दल के सदस्य अपनी छुट्टियों का प्रयोग विश्व के अनेक देशों में घूमकर एसिड पीड़ितों के इलाज़ में व्यतीत करते हैं। ये दल ब्रितानी चैरिटी संस्था इंटरप्लास्ट यू .के. का एक हिस्सा है, जिसमें सर्जन, डॉक्टर, नर्स, फिजियोथैरेपिस्ट तथा एक फार्मासिस्ट भी होता है। ये दल किसी भी स्थानीय अस्पताल में अपना कैंप लगाते हैं तथा मैराथन तरीके से दो सप्ताह तक गरीब एसिड पीड़ितों का इलाज़ करते हैं। यह दल एक बार दिल्ली में भी आया था। जहाँ इन्होंने दो सप्ताह से भी कम समय में १०० लोगों का इलाज़ किया था।

एसिड हमलों का नियंत्रण कानून और नियम बनाने मात्र से नहीं हो सकता है। इसके लिये आवश्कता है- लोगों को समझाना, जागरूक करना तथा उनकी सोच बदलना। लोग महिलाओं के साथ जो बुरा बर्ताव करते हैं, उसे बदलना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि इंकार का मतलब ये नहीं है कि किसी का चेहरा बिगाड़ दें। इस तरह की सोच के लोगों को नुक्कड़-नाटक, सोशल मीडिया, रैली आदि द्वारा जागरूक किया जाना चाहिए। यही नहीं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आस-पास के समाज को इन अत्याचारों के प्रति जागरूक बनाये और एसिड हमलों को रोकने में अपना योगदान दें।

सानिया अंसार
बी.ए. (प्रोग्राम)-प्रथम वर्ष
ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय।